

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट

मुकदमा संख्या 103/2026
इल्लिजा शेख बनाम मो0 अकील आदि

30.07.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया जरिये विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थिया की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 30.07.2026 को आदेशपत्रक पर यह पृष्ठांकित किया गया है कि वह उक्त वाद में अब कोई बल देना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में यह दर्शित होता है कि प्रार्थिया को वाद उक्त में कोई रुचि शेष नहीं रह गयी है।

अतः प्रस्तुत वाद बल न दिये जाने की स्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत विविध वाद बल न दिये जाने की स्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद भारती)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चित्रकूट
J.O.Code-UP6469